न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 183/2024

अनवान : –

1. कृष्णलाल पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. गंगाराम पुत्र हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भीमसैन पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. रिछपाल पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. ओम प्रकाश पुत्र हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. राहुल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. हनुमान प्रसाद पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. गुड्डी पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. मोहनी पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
8. दुर्गा पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
9. कौशल्या पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
10. अंगूरी पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
11. सरोज पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
12. रूकमा पत्नी हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
13. पुष्पा पुत्री हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
14. सुनीता देवी पुत्री हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
15. कलपना पत्नी मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
16. मनीषा पुत्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
17. शेली उर्फ शिल्पा पुत्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
18. संतोष पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

20. कला देवी पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
21. विमला पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
22. लिछमा पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
23. गुड्डी पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
24. पल्लो पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
25. विमला पत्नी प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
26. छगन पुत्र प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
27. सुभाष पुत्र प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
28. पवन पुत्र प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
29. चन्दो पुत्री प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
30. सीतां पुत्री प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
31. किरण पुत्री प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
32. दयाला पुत्र गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
33. पिरथी पुत्र गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
34. गुडी पुत्री गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
35. कमला पुत्री गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

36. ओम प्रकाश पुत्र गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।
37. इमरती पुत्री गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
38. सावत्री पुत्री गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

— तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांकः 02/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 18/15 के खसरा नं. 158 की कुल तादादी 1.6690 है0 भूमि एवं खाता संख्या 3/2 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1750 है0 भूमि में से 3503/15175 हिस्सा भूमि केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का दादी है केशर पत्नी परतुराम का देहान्त हो चुका है तथा केशर पत्नी परतुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 18 है व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 है जो केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। वादीगण की दादी केशर पत्नी परतुराम का स्वर्गवास के बाद जायज वारिसान मे से मेघाराम, हरिराम, जेठी, गीता व हस्ती हुए तथा मेघाराम पुत्र केशर फोत हो चुका है जिसके वारिस विद्या (पत्नी), गुड्डी (पुत्री), मोहनी (पुत्री), दुर्गा (पुत्री), कौशल्या (पुत्री), अंगूरी (पुत्री), सरोज (पुत्री), रिछपाल (पुत्र), भीमसैन (पुत्र) व कृष्णलाल (पुत्र) हुए तथा हरिराम पुत्र केशर फोत चुका है जिनके वारिस रूकमा (पत्नी), मोहनलाल (पुत्र), पुष्पा (पुत्री), सुनीता देवी (पुत्री), ओम प्रकाश (पुत्र) व गंगाराम (पुत्र) हुए जिनमें मोहनलाल पुत्र हरिराम फोत हो चुका है जिनके वारिस कल्पना (पुत्री), मनीषा (पुत्री), शेली उर्फ शिल्पा शर्मा (पुत्री), राहुल (पुत्र) हुए तथा जेठी पुत्री केशर फोत हो चुकी है जिनके वारिस कला देवी (पुत्री), विमला (पुत्री), प्रेम (पुत्र), लिछमा (पुत्री), गुड्डी (पुत्री), पल्लो (पुत्री) हुए जिसमें प्रेम पुत्र जेठी फोत हो चुका है जिनके वारिस विमला (पत्नी), छगन (पुत्र), सुभाष (पुत्र), पवन (पुत्र), चन्दो (पुत्री), सीता (पुत्री) व किरण (पुत्र) हुए तथा गीता पुत्री केशर फोत हो चुकी है जिनके वारिस दयाला (पुत्री), पिरथी (पुत्र), गुड्डी (पुत्री), कमला (पुत्री), ओम प्रकाश (पुत्र), इमरती (पुत्री) व सावत्री (पुत्री) हुए जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 12 ता 14 जो कि वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 2 की माता/बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है प्रतिवादीया संख्या 15 जो कि प्रतिवादी संख्या 4 की माता है व प्रतिवादीया संख्या 16, 17 जो कि प्रतिवादी संख्या 4 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 18 जो कि वादी संख्या 3 की बहिन है उपराोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 3/2 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1750 है0 भूमि में से 3503/15175 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 18/15 के खसरा नं. 158 की कुल तादादी 1.6690 है0 भूमि जों मृतका केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज है जिसमें से 1/5 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1/5 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/5 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 20 ता 24 प्रत्येक 1/30 हिस्सा पर काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 25 ता 31 संयुक्त रूप से 1/30 हिस्सा भूमि पर काबिज है तथा 1/5 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 32 ता 38 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 18 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 19 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण केसर, विद्या देवी, मेघाराम, जठी, हरिराम, हस्ती देवी, गीता तथा सदस्य प्रमाण पत्र केसर, गीता, जठी देवी, हरिराम, हस्ती, मेघाराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण की दादी के नाम दर्ज है वादीगण की दादी केशर पत्नी परतुराम का देहान्त हो चुका है तथा केशर पत्नी परतुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 18 है व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 है जो केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 18 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 को तर्क किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 का जो भी हक हिस्सा है उन्हे दिया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 18/15 के खसरा नं. 158 की कुल तादादी 1.6690 है0 भूमि एवं खाता संख्या 3/2 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1750 है0 भूमि में से 3503/15175 हिस्सा भूमि केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का दादी है केशर पत्नी परतुराम का देहान्त हो चुका है तथा केशर पत्नी परतुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 18 है व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 है जो केशर पत्नी परतुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 18 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 को तर्क किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 38 का जो भी हक हिस्सा है उन्हे दिया जा रहा है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक केशर देहान्त के बाद कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–71 के खाता संख्या 3/2 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1750 है0 भूमि में से 3503/15175 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 18/15 के खसरा नं. 158 की कुल तादादी 1.6690 है0 भूमि में मृतका केशर पत्नी परतुराम का नाम कलमजन किया जाकार उपरोक्त दोनो खातों में से 1/5 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/5 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 1/5 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 20 ता 24 प्रत्येक को 1/30 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 25 ता 31 को संयुक्त रूप से 1/30 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 32 ता 38 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 183/2024

अनवान : –

1. कृष्णलाल पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. गंगाराम पुत्र हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भीमसैन पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. रिछपाल पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. ओम प्रकाश पुत्र हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. राहुल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. हनुमान प्रसाद पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. गुड्डी पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. मोहनी पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
8. दुर्गा पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
9. कौशल्या पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
10. अंगूरी पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
11. सरोज पुत्री मेघाराम उर्फ मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
12. रूकमा पत्नी हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
13. पुष्पा पुत्री हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
14. सुनीता देवी पुत्री हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
15. कलपना पत्नी मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
16. मनीषा पुत्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
17. शेली उर्फ शिल्पा पुत्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
18. संतोष पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

20. कला देवी पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
21. विमला पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
22. लिछमा पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
23. गुड्डी पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
24. पल्लो पुत्री जेठी जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
25. विमला पत्नी प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
26. छगन पुत्र प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
27. सुभाष पुत्र प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
28. पवन पुत्र प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
29. चन्दो पुत्री प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
30. सीता पुत्री प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
31. किरण पुत्री प्रेमकुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
32. दयाला पुत्र गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
33. पिरथी पुत्र गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
34. गुडी पुत्री गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

35. कमला पुत्री गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
36. ओम प्रकाश पुत्र गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।
37. इमरती पुत्री गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
38. सावत्री पुत्री गीता पुत्री केशर जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

— **तरतीवी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 183 सन 2024 निर्णय दिनांक -02/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–71 के खाता संख्या 3/2 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1750 है0 भूमि में से 3503/15175 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 18/15 के खसरा नं. 158 की कुल तादादी 1.6690 है0 भूमि में मृतका केशर पत्नी परतुराम का नाम कलमजन किया जाकार उपरोक्त दोनो खातों में से 1/5 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/5 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 1/5 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 20 ता 24 प्रत्येक को 1/30 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 25 ता 31 को संयुक्त रूप से 1/30 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 32 ता 38 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/4/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested